NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 110/NCRES/19

Date : 11.04.2019

श्रीमान डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री–एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :– CGEGIS का मासिक कटौती को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार बढ़ाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि 1 जनवरी 1982 से लागू Central Government Employee's Group Insurance Scheme (CGEGIS) के तहत ग्रुप "सी" के कर्मचारी से 30/–रू0 प्रतिमाह की कटौती की जाती थी जिसके कारण कर्मचारी को कोई विशेष लाभ नही मिल पाता था। कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखकर VII CPC ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 9.3 में कहा कि कर्मचारी मासिक कटौती की दर को बढ़ाने की मांग काफी दिनो से कर रहे है लेकिन 1990 से मासिक कटौती की दर को बदला नही गया है इसलिये कटौती की दर बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 01.9.2013 से लागू Army Group Insurance Fund (AGIF) का उदाहरण देते हुये कहा था कि सैन्य कर्मियो का वेतन चूंकि सिविलियन कर्मचारियों से ज्यादा है इसलिये सिविलियन कर्मचारियों की मासिक कटौती उनसे थोड़ा कम रखी जाय।

कटौती का टेबल निम्न है :–

वर्तमान			7th CPC की सिफारिश		
ग्रुप	मासिक कटौती	Insurance Amount	कर्मचारी का पे लेवल	मासिक कटौती	Insurance Amount
A	120	1,20,000	10 एवं ज्यादा	5000	50,00,000
B	60	60,000	6 से 9	2500	25,00,000
C	30	30,000	1 से 5	1500	15,00,000

NCRES का अनुरोध है कि कर्मचारी हित में CGEGIS की स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन से मासिक कटौती की दर बढ़वाने का कष्ट करे ताकि कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु/रिटायरमेन्ट पर उसे सम्मान जनक राशि मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री